

13.4.1978.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REQUESTED EXCHANGE OF COUNTER-FEET DOLLARS FOR INDIAN CURRENCY BY FOREIGNER FROM A DELHI BANK.

श्री बलभूषण तिवारी (खलीलाबाद) :
प्रश्नश महोदय, मैं आपकी कृपामूर्ति से नियम 377 के अधीन अविनियमित बॉक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूँ :—

27 नवम्बर, 1978 को यूनियन बैंक की आसफली रोड शाखा में 500 अमरीकी डालर एक जर्मन महिला द्वारा भुनाया गया और भारतीय मुद्रा में उक्त भुगतान किया गया। जब ये डालर बम्बई मुख्यमन्त्र्य में भेजे गये, तो वहाँ जाली करार दिया गया और ऐसी रिपीट के अन्त पुनः आसफली रोड शाखा को भेज दिया गया। उक्त जर्मन महिला ने दरियागज दिवसी का पता दिया था और वह बनारस से किसी कारागरी के एक व्यक्ति के साथ बैंक गई थी और उक्त व्यक्ति की जान-पहुँचान वहाँ के रिजिनल मैनेजर से थी, जिसकी पहचान पर ही उक्त डालर का भुगतान कराया गया। यह आश्चर्य की बात है कि उस जर्मन महिला ने भुगतान कराने का कारण अपनी स्वदेश अन्ना बढ़ाया और यह भी पता चला कि वह उसी दिन रात को जहाज से जर्मनी वापस चली गई। जर्मनी में भारतीय मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस व्यक्ति की जान-पहुँचान शाखा के रिजिनल मैनेजर से पुरानी है। उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि देश के अन्ध एक ऐसा गिरोह है, जो इस प्रकार के जाली डालर बनाता है और बैंक के अधिकारियों से मिल कर उनका भुगतान कराता है।

यह बहुत ही गम्भीर और सार्वजनिक महत्व का विषय है। निम्नलिखित सरकार से अनुरोध करना कि वह इस पूरी घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये और इससे सम्बद्ध व्यक्तियों तथा बड़े गिरोह का पता लगाये और उनके विरुद्ध सख्त आवश्यक कार्यवाही करे। सारी स्थिति को साफ करने के लिए आवश्यक है कि वित्त मंत्री सदन में बयान दे।

(ii) HARRASSMENT OF CANTEN WORKERS OF DEPARTMENT OF STATISTICS, HANS BHAVAN, NEW DELHI.

श्री राज दास सिंह (गिरडीह) :
महोदय, मैं नियम 377 के अधीन योजना मन्त्रा का ध्यान नेशनल सैम्पल सर्वे प्रॉग्रेनाइजेशन के सांख्यिकी विभाग, हंस भवन, नई दिल्ली, में ब्याप्त अछाचार और सरकार के नियमों का उल्लंघन कर के गरीब कर्मचारियों को सताने की ओर आक्रामक करना चाहता हूँ।

नेशनल सैम्पल सर्वे प्रॉग्रेनाइजेशन के अन्तर्गत जो कैंटिन है, उसमें काम करने वाले निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के एक वर्ग को 170 रुपये माहवार और दूसरे वर्ग को 239 रुपये माहवार तनक्काह मिलती थी। पर्सनैल डिपार्टमेंट के हेड ने अपने मीमो नम्बर 6/(2)/23/76-बेलफेयर, तारीख 7-1-77 के जरिए आदेश दिया कि उनकी तनक्काह में सुधार किया गया है और निम्न वेतन के मुताबिक उनकी तनक्काह में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इतने दिनों से आज तक इस निबन्ध के मुताबिक तनक्काह नहीं दी। अभी एक महीने पहले, जब उन कर्मचारियों को मालूम हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टर, पर्सनैल को लिखा।

MR. SPEAKER: You have to confine yourself to the written statement; you cannot travel outside.

SHRI RAMDAS SINGH: I have quoted the relevant regulation which has been violated and that is why I am telling all this.

MR. SPEAKER: You have to confine yourself to the statement. Now, go on and finish. The time of the House is very valuable.

श्री रामदास सिंह : इस महीने, अर्थात् मार्च में, उनको विनिम्नम बोर्ड के मुताबिक तनख्वाह मिल गई है। इसलिए मैं ब्रायह करता हूँ कि 1976 से फरवरी, 1979 तक दोनो वेतनमानों में अन्तर का उनका जो बकाया है, उसका उन्हें भुगतान किया जाये।

दूसरा जो उनको मिला था उसके लिए ग्रांडर परसोनल डिपार्टमेंट ने दिया। उसका मेमो नं० 6(2)/9/77 बेलफेयर डेटेड 21-2-78 है, उसके मुताबिक उनको गर्मी और जाड़े में बर्दी मिलनी चाहिये जो आज तक नहीं मिली।

तीसरा जो नियम मैंने कोट किया है वह है मेमो नं० 6(2)/24/77 डेटेड 30-8-1978। . . .

MR. SPEAKER: You give one statement and read another.

श्री रामदास सिंह : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

कम्यन्स स्पीकर : आपका स्टेटमेंट दूसरा है।

श्री रामदास सिंह : यही है जो मैंने मेमो अन्धर लिखा है उसी के बायलेजन का है। . . . (अन्धकार) . . .

I have said that it is about the wilful violation of regulation such-and-such.

purged as ordered by the chair.

वही तीन चार जो ब्रायमेन्स किया है उसके नम्बर हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। दूसरा मैं बोल नहीं रहा हूँ। उसके मुताबिक एकाउंट रजिस्टर में, क्लर्क की तरह से मेटेन होना चाहिये वह मेटेन नहीं किया गया है और उन्हें कैंटीन के लिए 8 हजार खपया जो खर्च करने के लिए दिया गया था उसमें से 36,98 खप 93 पैसे का खर्च उन्होंने बिनाबा है लेकिन बाकी 4303 रं० 7 पैसे का न उन्होंने खर्च दिवाया है और न कानून के मुताबिक ज। उनको उसी डायरेक्टर के पास जमा करना चाहिये था वह जमा किया है। इन तरह की जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक एक और खर्च है कि नियम के मुताबिक उन्होंने एम्पाइमेंट सेटर नहीं दिया है। वह क्या करते हैं कि जिस कर्मचारों से नाराज हो जाते हैं उसको हटा देते हैं . . .

MR. SPEAKER: I am very sorry I will have to stop you, because you have given me a 5-line statement, and now you have made a speech. Here, it is just 5 lines.

SHRI RAMDAS SINGH: My notice is about the wilful violation of the O.M.

MR. SPEAKER: You cannot do that. As a senior Member, I have given you some latitude.

श्री रामदास सिंह : तो उसके अन्तर्गत उनको बर्दी आज तक नहीं दी गई है। बहा पर * * * * एकाउंट आफिसर-कम-एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है जो कि पांच साल से डेपुटेसन में है जो नियम विरुद्ध है। उनका एम्पाइमेंट था तो सरकार को रेगुलराइज करना चाहिये या उन्हें हटा देना चाहिए। पंजाब सरकार में उसके बारे में यह कहा है कि डेपुटेसन पर रहने से फेवरिटिज्म, निपोटिज्म और मास-प्रिक्टिसज होती है। . . .

MR. SPEAKER: All the names should be deleted.

श्री रामदास सिंह : तो ये जो तीन नियम देने दिखाये हैं इनको अधिकारियों ने वायलेट किया है। इन नियमों को लागू करके वहाँ के कर्मचारियों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाना चाहिये और इन नियमों के मुताबिक उनको सुविधायें प्रदान करनी चाहियें।

(iii) REPORTED IRREGULAR SUPPLY OF COAL TO BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL.

SHRI A. K. SAHA: Sir, under rule 377, I wish to raise the following matter:

A serious situation has arisen in the Bankura district, due to irregular supply of soft coke coal to Bankura Wholesale Consumers Cooperative Society Ltd, a Government agency, since December, 1978. A brief picture of coal delivery to the district of Bankura by Basanti Mata Colliery and Salanpur Area Colliery is given below:

| Month | Quota | Delivery made upto date | Balance | Remarks |
|---------------|--|------------------------------|---------|--|
| December '78 | 200 MT | 62 MT | 138 MT | Balance quantity not yet been supplied by the colliery. |
| January '79 | 700 MT for Bankura and 180 MT for Bishnupur. | No lifting in this colliery. | 880 MT | Colliery denied to supply. |
| February 1979 | 540 MT | No lifting in this colliery | 540 MT | The Salanpur Area Colliery directed B.W.C.C.S.L. to lift soft coke coal from Gourandi colliery. As the stock of Gourandi colliery is of inferior quality, the B.W.C.C.S.L. prayed for making arrangements for delivery from Banjumehari and other collieries, but the prayer has been refused. |
| March '79 | 504 MT | No lifting. | 504 MT | The colliery authority has been contacted on 16-3-79 but the supply has not yet been received. |